न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 161/2017

1. लेखराम पुत्र त्रिलोकाराम
2. नीलम पत्नी कृष्णराम
3. रोहित कुमार पुत्र कृष्णराम
4. काजल पुत्री कृष्णराम

} जाति जाट निवापसी 18 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर। — अपीलार्थीगण

बनाम

1. लूणाराम पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी 18एलएनपी लाधूवाला हाल 3 जे–4 जवाहरनगर श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर । –रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर
दिनांक 31.10.2017

उपस्थितः–

श्री विजय रेवाड़, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री राजेश ग्रेवाल अभिषक रेस्पों.।

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 11.12.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पो. सं. 1 ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा.का.अ. की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया कि वे चक 18 एलएनपी के खाता संख्या 57/55 मु0न0 10 का कि.न. 25 मु0न0 11 के कि.न. 12, 16 से 25 व मु0न0 16 के कि.न. 1 से 14, 17/2 व 18 से 23 की कुल

11/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

6.970है0 भूमि को बिना विभाजन कराये रहन, बेय आदि द्वारा मुन्तकिल नहीं करे एवं प्रार्थी को जबरन बेदखल नहीं करें।

अप्रार्थीगण ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन .किया ।

सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 31.10.2017 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों एवं जबाव प्रा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि के अपीलार्थीगण अभिलिखित खातेदार हैं एवं भूमि संयुक्त खाते में है। अभिलिखत खातेदार एवं संयुक्त खाते की भूमि पर किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अधी. न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखे बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी है यदि बिना विभाजन के विवादित भूमि का किसी प्रकार से हस्तान्तण हो जाता है तो अनावश्यक रूप से विवाद बढ़ेगा। अधी.न्यायालय ने इस तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज की जावें। अपने पक्ष के समर्थन में वकील रेस्पो. ने आर.आर.टी. 2013 (1) पेज 49, 515 की नजीरें पेश की ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 31.10.2017 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अधी.न्यायालय द्वारा अपीलांट की रेकार्डेड खातेदारी भूमि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है जबकि रेस्पो. का इस भूमि से कोई लेना देना नहीं है। अतः अधी.न्यायालय का आदेश अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

11/12/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अधी0न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधी0 न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी ग्राम 18 एलएनपी सम्वत् 2069–2072 के अनुसार विवादित आराजी मु0न0 10 का कि.न. 25 मु0न0 11 के कि.न. 12, 16 से 25 व मु0न0 16 के कि.न. 1 से 14, 17/2 व 18 से 23 की कुल 6.970है0 भूमि अपीलांट लेखराम के नाम दर्ज है जिसपर अधी0 न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर अपीलांट को रहन, बेचान व हस्तान्तरण न करने के लिए पाबन्द किया। यह राजस्व विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि सामान्यतया रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जानी चाहिए तथा अधी0 न्यायालय ने ऐसी कोई असामान्य परिस्थितियां विवेचित नहीं की कि रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना क्यों अपरिहार्य है ।

अतः अधी0न्यायालय का निर्णय Bad decision in the eyes of law होना प्रतीत होता है जो अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अधी.न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.10.2017 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/12/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर